प्रेस नोट–168 / 2026	
दिनांक 24.03.2026	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई</u>

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 24.03.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा इकाई** द्वारा श्री नितिन सिंह निवासी अवधपुरी पुष्पांजली उपवन रोड जनपद मथुरा से दिव्यांगता प्रमाणपत्र सत्यापित करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्रीमती कल्पना गौतम के नेतृत्व में कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी मथुरा से **कनिष्ठ लिपिक शशिकांत वर्मा** पुत्र स्व0 नत्थू सिंह वर्मा निवासी ग्राम अशोकपुर थाना पटियाली जनपद कासगंज को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–169/2026
दिनांक 24.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–महाराष्ट्र राज्य के रिहायशी पबों, होटलों व पार्टियों में ड्रग तस्करी करने वाले व मुंबई प्रदेश से वांछित दो अभियुक्त जनपद लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 23–03–2026 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना–नायगाव, जनपद–मिरा–भाईंदर मुम्बई पर पंजीकृत मु0अ0सं0–135/2026 धारा–8(C),21(B),29 NDPS एक्ट में वांछित अन्तर्राज्यीय ड्रग तस्करी के आरोपी भावेश चौहान व शोएब अशरफ को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– भावेश चौहान उर्फ लालू पुत्र प्रभाकर चौहान नि०–रूम न०–313 शाही किरन अपार्टमेंट अलकापुरी, नाला सोपारा पूर्वी मुम्बई मूल नि० ग्राम बाजीराव पुरवा, थाना–बेनीगंज तहसील–संडीला, जिला हरदोई।

2– शोएब अशरफ पठान उर्फ बटला पुत्र अशरफ पठान नि०–रूम न०–6 भाई ज्योति बिल्डिंग अल्कापुरी, नाला सोपारा, पूर्वी मुंबई ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :–

टेम्पो स्टैंड चारबाग रेलवे स्टेशन, जनपद–लखनऊ दिनांक 23–03–2026 समय 18:00 बजे।

दिनांक 23–03–2026 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय में थाना–नायगाव, जनपद–मिरा–भाईंदर वसई, महाराष्ट्र के सहायक पुलिस निरीक्षक यशपाल सूर्यवंशी आरक्षी जयंत खांडवी, आरक्षी चेतन ठाकरे द्वारा उपस्थित आकर थाना–नायगाव पर पंजीकृत मु0अ0सं0–135/2026 धारा–8(C),21(B),29 NDPS एक्ट में वांछित ड्रग तस्करी के आरोपी भावेश चौहान व शोएब अशरफ के जनपद लखनऊ में छिपे होने की सूचना प्रदान की गयी तथा उपरोक्त अंतर्राजीय तस्करो की गिरफ्तारी हेतु एस०टी०एफ० टीम से सहयोग अपेक्षा की गयी जिसपर श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ की पर्वेक्षणाधीन टीम को महाराष्ट्र पुलिस के सहयोगार्थ निर्देशित किया गया।

संकलित सूचना के क्रम में दिनांक 23—03—2026 को उपनिरीक्षकगण श्री अतुल चतुर्वेदी, देवेन्द्र पाल सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण नीरज कुमार पाण्डेय, सुशील कुमार सिंह, राम निवास शुक्ल, राजीव कुमार, आरक्षीगण बृजेश बहादुर सिंह, अमित त्रिपाठी, अमर श्रीवास्तव, श्रीराम सिंह एसटीएफ मुख्यालय की टीम जनपद—लखनऊ में आपराधिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही में भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना मिली कि अन्तर्राज्यीय ड्रग तस्करी के आरोपी भावेश चौहान व शोएब अशरफ उपरोक्त टेम्पो स्टैंड चारबाग रेलवे स्टेशन, जनपद—लखनऊ के पास मौजूद हैं तथा कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उपरोक्त स्थान से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों से की गयी पूछताछ पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं—</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया की यह लोग अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ तस्करी करने का कार्य कार्य करते है। यह लोग अपने साथियो के साथ मिलकर बाजार में उपलब्ध केमिकल से ब्राउन शूगर बनाने का काम करते हैं।

यह काम हम पिछले 4—5 साल से कर रहे हैं। दिनांकः—05—02—2026 को वसई—विरार मिरा भाईंदर जिले में माल के पकड़े जाने के बाद हम लोग मुम्बई से फरार होकर लखनऊ के रास्ते नेपाल निकलने कि फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 135/2026 धारा—8(C),21(B),29 NDPS एक्ट मे थाना नायगाव, वसई—विरार मिरा भाईंदर में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>भावेश चौहान उर्फ लालू पुत्र प्रभाकर चौहान का ज्ञात अपराधिक इतिहास—</u>

1. मु०अ०सं० 553/2023 धारा 304/307/143/147/148 भा०द०वि० थाना अचोले, जनपद—वसई विरार।
2. मु0अ0सं0 392/2023 धारा 8 (1)/22 NDPS ACT थाना अचोले, जनपद—वसई विरार ।
3. मु०अ०सं० 523/2022 धारा 308/34 भा०द०वि० थाना अचोले, जनपद—वसई विरार।

4. मु0अ0सं0 324/2022 धारा 323/143/147/323/504 भा०द०वि० थाना अचोले, जनपद–वसई विरार।

5. मु0अ0सं0 764/2021 धारा 307/324/342/147 भा०द०वि० थाना तुलिंज, जनपद–वसई विरार।

6. मु०अ०सं० 356/2021 धारा 452/324/148/149 भा०द०वि० थाना तुलिंज, जनपद–वसई विरार।

7. मु०अ०सं० 49/2021 धारा 323/149/148/147 भा०द०वि० थाना तुलिंज, जनपद–वसई विरार ।

8. मु०अ०सं० 348/2025 धारा 308 (4)/3 (5) BNS थाना अचोले, जनपद–वसई विरार।

<u>जनपद सम्भल/थाना नखासा</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.03.2026 को थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिठाली बाईपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कासिम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना नखासा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नखासा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–कासिम निवासी हिन्दूपुरा खेडा थाना नखासा जनपद सम्भल।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बड़ौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 48–48 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बड़ौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504/506 भादवि

व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शफीक उर्फ हड्डी 2–कदीम 3–समीर 4–तौफीक को आजीवन कारावास व 48–48 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–इम्तियाज को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–नदीम 3–अलीशेर को धारा 302/34 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जय नारायण को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त किशन उर्फ कृष्ण कुमार को 20 वर्ष के कठिन कारावास व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद देवरिया/थाना सलेमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना सलेमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शैलेन्द्र प्रसाद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।